न्यायालय, अपर समाहर्ता,रॉची।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या 02 आर–15/08–09

शंकर सिह पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

महावीर सिह प्रतिवादी

आदेश

9
6.08.2008

यह पुनरीक्षण दाखिल खारिज अपील 61 आर 15/07–08 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर रॉची द्वारा दिनांक 29.1.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने दाखिल खारिज वाद संख्या 1913 आर 27/06–07 टी आर 7 आर 27/07–08 में अंचल पदाधिकारी, रातु द्वारा दिनांक 13.04.2007 को पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें प्रतिवादी के नाम निम्नांकित जमीन का नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया गया था।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
बालालौंग	36	1150	0.86 एकड़

पुनरीक्षण आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन विक्रेता भगवती देवी के दखल में कभी नहीं रहा जिसने प्रतिवादी के नाम से निबंधित वसीका द्वारा जमीन हस्तांतरित किया है। यह जमीन पुनरीक्षणकर्ता के दखल में काफी दिनों से चला आ रहा है। पारिवारिक बॅटवारे में यह जमीन पुनरीक्षणकर्ता के पिता को हिस्से में प्राप्त हुआ था। प्रतिवादी एवं विक्रेता भगवती देवी ने आपसी मिलिभगत से जमीन हड़पने की नीयत से पट्टा का निबंधन कराया है। वास्तविकता यह है कि क्रेता कभी भी विवादित जमीन पर नहीं गये तथा उन्होंने दखल प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं किया। प्रतिवादी ने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया कि विवादित जमीन विक्रेता के दखल में है अथवा नहीं। विक्रेता भगवती देवी पुनरीक्षणकर्ता की बहन है और उसका विवाह 45 बर्ष पूर्व अन्यत्र हो चुका है तथा उसी समय से उसका दखल विवादित जमीन पर नहीं है। अंचल अधिकारी, रातु द्वारा स्थल जॉच करवाया गया था एवं पाया गया कि विवादित जमीन पर प्रतिवादी का दखल नहीं है। इसी आधार पर प्रतिवादी का नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया गया।

कथित बिक्री पट्टे में किसी भी स्थानीय व्यक्ति को गवाह या पहचानकर्ता नहीं बनाया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने पुनरीक्षण आवेदन में वर्णित तथ्यों का ही पुनः उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि 1936 में चार भाइयों ने मिलकर जमीन खरीदा था। पंजी ाा में चारों भाइयों का नाम दर्ज है। इनके बीच आपसी बॅटवारा हुआ था एवं सभी को बराबर हिस्सा मिला था। देवी की मृत्यु 1968 में हुई जिसके छै पुत्रियॉ थीं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रियॉ जमीन की उत्तराधिकरी हुईं। विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि भगवती देवी ने महावीर सिह को जमीन बिक्री किया है। इसमें पुत्रियों को कोई आपत्ति नही है। विवादित जमीन पहले विक्रेता एवं अब क्रेता के दखल में है।

अपीलीय न्यायालय एवं मूल न्यायालय का अभिलेख देखा गया। अंचल अधिकारी, रातु ने अपीलकर्ता शंकर सिह की आपत्ति पर गौर करते हुए लिखा कि ''प्रश्नगत भूमि पर देवी सिंह तथा इनके वंशजों के हिस्से की भूमि नहीं है और न ही इनका भूमि पर कभी दखल कायम था। देवी सिह के हिस्से का भूमि पूर्व में ही बिक्री कर दी गई है।''

अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त भूखण्ड पर अधबॅटाई के रुप में भगवती देवी द्वारा खेती किया जाता है और उन्होंने नामांतरण की अनुशंसा भी किया। लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत करते समय अंचल निरीक्षक के उपरोक्त प्रतिवेदन को अमान्य करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

उपरोक्त आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता रॉची सदर ने अंचल अधिकारी, रातु द्व ारा नामांतरण वाद संख्या 1913 आर 27/06–07 में दिनांक 13.4.2007 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया और अपील स्वीकृत कर लिया।

नामांतरण में मुख्य आधार कब्जा होता है। इस दृष्टिकोण से भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रॉची द्वारा पारित आदेश सही है। अतएव पुनरीक्षण अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांकः– 6.08.2008 लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।